प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एसपीएमयू/मा0स्वा0/सु0गर्भ0से0/104/2013–14/11400-75 दिनांक 07.07.2013

विषय– सुरक्षित गर्भपात अधिनियम 1971 के अन्तर्गत सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

हमारे प्रदेश में असुरक्षित गर्भपात के फलस्वरूप होने वाली मातृ मृत्यु का प्रतिशत 8.9 है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 15 हजार माताओं की मौत असुरक्षित गर्भपात से हो जाती है। उत्तर प्रदेश की 80 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में जानकारी का अभाव है, साथ ही गर्भनिरोधकों के प्रभावी उपयोग का प्रचलन भी कम है इसलिए अनचाहे गर्भधारण की सम्भावना बढ़ जाती है। सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ भी अधिकतर शहरी क्षेत्रों में ही उपलब्ध हैं। प्रदेश में केवल 25 प्रतिशत गर्भपात सरकारी केन्द्रों में होते हैं और वे ही रिपोर्ट किये जाते हैं शेष 75 प्रतिशत गर्भपात प्राइवेट क्लीनिकों मे होते हैं जिसमें अधिकतर सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के लिये अधिकृत नही हैं और पंजीकरण न होने के कारण न ही उनके आँकड़े प्राप्त होते हैं और न ही उनकी गुणवत्ता मानकानुसार होने का पता लगता है। इन क्लीनिकों में सेवाएं भी इतनी मँहगी होती हैं कि ग्रामीण गरीब महिलायें इस खर्चे को वहन नहीं कर पातीं।

चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम 1971, अमेन्डमेन्ट 2002–03 के अन्तर्गत हमारे देश में गर्भपात कानूनन वैध है। किन्तु सुरक्षित गर्भपात को कानूनी वैधता दिये जाने के 40 वर्षो बाद भी ग्रामीण अँचलों में स्थापित ब्लाक स्तरीय इकाईयों पर सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं।

प्रत्येक जिले पर मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन एक कमेटी (डी0एल0सी0) का गठन किया गया है जो सभी सरकारी व निजी चिकित्सालयों तथा चिकित्सकों का मानकों के अनुसार परीक्षण व पंजीकरण करती हैं। सुरक्षित चिकित्सकीय गर्भपात सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता चिकित्सकों, निजी क्लीनिकों व चिकित्सालयों को इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व विनियमित किया जाता है। इस समिति को क्रियाशील किये जाने हेतु एक कार्यशाला 8–9 अप्रैल 2013 को राज्य स्तर पर आयोजित की गयी थी जिसमें सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यशाला में सभी जनपदों द्वारा अपने जनपद में डी0एल0सी0 के गठन एवं क्रियाशील किये जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी थी। वर्ष 2013–14 के लिये एन0आर0एच0एम0 की राज्य कार्ययोजना में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निम्न व्यवस्थाएं स्वीकृत की गयी हैं–

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य कार्यकारी योजना 2013–14 में प्रदेश में सुरक्षित विधियों द्वारा गर्भपात सेवाएं उपलब्ध कराएं जाने एवं प्रदेश के सभी जनपदों पर जिला स्तरीय समिति को सुचारू रूप से क्रियाशील किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें–
   - चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम 1971 एवं अमेन्डमेन्ट 2002–03 के अनुपालन में मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति (डी0एल0सी0) का गठन हो गया है एवं नियमित बैठकें की जायें
   - सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने वाले केन्द्रों (सरकारी व गैरसरकारी) की सूची जनपद कार्यालय पर उपलब्ध रहे।

- नवीन केन्द्रों के परीक्षण व पंजीकरण में विलम्ब न करते हुए नवीन सरकारी व गैरसरकारी सुरक्षित गर्भपात सेवाप्रदाताओं के पंजीकरण हेतु ससमय एवं नियमित रूप से कार्यवाही की जाये।
- 12–20 सप्ताह तक की सुरक्षित गर्भपात सेवायें प्रदान करने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों/क्लीनिकों का पृथक से पंजीकरण कर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर सूची प्रदर्शित की जाये।
- सभी सरकारी व गैरसरकारी पंजीकृत सेवा केन्द्र नियमित रूप से मासिक रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रेषित करें।

2. सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की मासिक/त्रैमासिक रिपोर्टिंग एवं सुरक्षित गर्भपात सेवा प्रदान कर रही चिकित्सा इकाइयों पर उपलब्ध कराये जाने वाले सभी प्रारूपों की प्रति संलग्नक–2 पर प्रेषित की जा रही है जो इस प्रकार है–
   - प्रारूप क (स्थान के अनुमोदन के लिये आवेदन का प्रपत्र)
   - प्रारूप ख (अनुमोदन का प्रमाण–पत्र)
   - प्रारूप ग (सहमति प्रपत्र)
   - प्रारूप 1 (सलाह प्रपत्र)
   - प्रारूप 2 (इकाई के प्रभारी द्वारा मासिक रिपोर्टिंग का प्रारूप)
   - प्रारूप 3 (पी0पी0ओ0टी0 पर दाखिला रजिस्टर का प्रारूप)–सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारी चिकित्सा इकाई को रिपोर्टिंग हेतु दाखिला रजिस्टर को इस प्रकार बनवाया जाये कि उसकी एक प्रति सेवा प्रदाता के पास पी0पी0ओ0टी0 में ही रखी जाये। प्रभारी चिकित्सा इकाई एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के पास इकाईवार चिकित्सकीय गर्भपात की संख्या व अन्य विस्तृत जानकारी प्रेषित करते समय महिला का नाम व पता नहीं बताया जायेगा। चिकित्सकीय गर्भपात एक गोपनीय प्रक्रिया है अतः लाभार्थी के विषय में जानकारी सिवाय कोर्ट आदि के किसी को भी उजागर नहीं की जायेगी।
   - जिला स्तरीय समिति के द्वारा एम0टी0पी0 साइट के निरीक्षण व अनुश्रवण हेतु प्रारूप
   - सेवा प्रदाता इकाईयों पर रिकार्ड व्यवस्थित रखने हेतु फैसिलिटी लॉग बुक रजिस्टर।

उपर्युक्त प्रारूप की जानकारी सभी जनपदों को 8–9 अप्रैल 2013 को राज्य स्तर पर आयोजित कार्यशाला में उपलब्ध करायी गयी थी। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र के साथ सभी प्रारूपों की प्रति संलग्न कर पुनः प्रेषित हैं (संलग्नक–2)। **भारत सरकार द्वारा जिला स्तरीय समिति के स्तर पर कन्टेन्जेन्सी की व्यवस्था हेतु चिकित्सा इकाई पर उपलब्ध आर0के0एस0 अथवा अनटाइड फन्ड से धनराशि व्यय किया जाना स्वीकृत किया गया है।**

3. प्रत्येक जनपद पर डी0एल0सी0 द्वारा सेवा प्रदाता इकाईयों (निजी एवं सरकारी) पर तैनात अधिकृत चिकित्सकों/स्टाफ नर्सो को चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम 1971 व अमेन्डमेनट 2002 व 2003 के अनुरूप दस्तावेजों की व्यवस्था व इकाईयों पर सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियमित बैठकें की जायेगी। इस कार्य के लिये प्रत्येक जनपद को रू0 20,000.00 प्रति जनपद की दर से धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4. **जिला स्तरीय समिति की त्रैमासिक अनुश्रवण बैठक** हेतु रू0 5000.00 प्रति त्रैमास स्वीकृत किये गये हैं, इस प्रकार रू0 20,000.00 प्रति जनपद स्वीकृत हैं। इस बैठक का उद्देश्य सभी अधिकृत सेवा प्रदाता इकाईयों के प्रभारियों के साथ चर्चा परिचर्चा के माध्यम से कार्यक्रम को गति प्रदान किया जाना है। प्रदेश

में जनपद कौशाम्बी, चित्रकूट, अमेठी, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, सन्त कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, औरैया, भदोही, सोनभद्र, चन्दौली में चिकित्सकीय गर्भपात की उपलब्धि शून्य है। इन जनपदों में जिला स्तरीय समितियों को युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को सक्रिय करने हेतु कार्य करना होगा।

5. सुरक्षित गर्भपात सेवाओं हेतु औषधियों व कन्ज्यूमेबल्स की व्यवस्था–
   - वर्ष 2013–14 में जनपदों की माँग के आधार पर कुल 866 एम0वी0ए0 (जनपदवार फॉट संलग्नक–1 कॉलम–2) सीरिंज क्रय किये जाने हेतु रू0–2500.00 प्रति किट की दर से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।
   - महानिदेशक परिवार कल्याण के स्तर से लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश की जिला स्तरीय L-3 चिकित्सा इकाईयों पर मेडिकल एबॉर्शन (MMA) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये रू0 200.00 प्रति मेडिकल एबॉर्शन (MMA) की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिला स्तरीय समिति की बैठक में अपने जनपद में जिला महिला चिकित्सालय एवं सुरक्षित गर्भपात सेवायें प्रदान कर रही अन्य जिला स्तरीय चिकित्सा इकाईयों के प्रभारियों के साथ बैठक कर उनसे मेडिकल एबॉर्शन (MMA) की औषधियों की आवश्यकता का आँकलन कर माँग पत्र प्राप्त कर लें। चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम 1971 के अमेन्डमेन्ट 2002 व 2003 के अनुसार मेडिकल एबॉर्शन की औषधियाँ खरीद के लिये महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये रेट कॉन्ट्रेक्ट पर क्रय की जायेंगी।
   - एम0वी0ए0/ई0वी0ए0 एवं गर्भपात पश्चात चिकित्सा हेतु उपयोग होने वाली औषधियों एवं कन्ज्यूमेबल्स प्रसव इकाईयों के लिये प्रस्तावित ई0डी0एल0 में सम्मिलित हैं अतः जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत औषधियों व कन्ज्यूमेबिल्स के लिये उपलब्ध कराई गयी धनराशि से क्रय कर सेवा प्रदाता इकाईयों को प्रदान की जा सकती हैं।

6. सुरक्षित गर्भपात सेवाओं हेतु प्रशिक्षण –
   - अपने जनपद में चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम 1971 के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये इच्छुक चिकित्सकों (निजी एवं राजकीय क्षेत्र से) से आवेदन पत्र प्राप्त कर लें। इनका प्रशिक्षण जिला महिला चिकित्सालय पर पूर्व से अधिकृत स्त्री रोग विशेषज्ञ के अधीन सम्बद्ध कर पूर्ण करायें। इस प्रशिक्षण के लिये कोई मानदेय देय नहीं है। अधिनियम के अनुरूप प्रशिक्षण पूर्ण करने पश्चात प्रशिक्षक द्वारा प्रश्नगत प्रशिक्षु को चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम 1971 के अन्तर्गत अधिकृत करने हेतु डी0एल0सी0 को संस्तुति प्रेषित की जायेगी।
   - पूर्व से प्रशिक्षित व अधिकृत सेवा प्रदाताओं को एम0एम0ए0/एम0वी0ए0 विधि पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण के लिए नामांकन कर राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान एवं एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को सूचना भेज दें जिससें इन अधिकारियों को प्रदेश के 10 चिन्हित जिला महिला चिकित्सालयों पर प्रशिक्षण हेतु भेजा जा सके।

7. अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंगः–
   कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के स्तर पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु प्राविधानित प्रारूप एनेक्जर–10 (संलग्नक–2) पर प्रत्येक त्रैमास के अन्त में 15 दिवसों के अन्दर रिपोर्ट एस0पी0एम0यू0 कार्यालय jointdirectorfw@gmail.com, uks1974@hotmail.com एवं vkssinghal033@gmail.com पर प्रेषित की जानी है। मासिक रिपोर्ट परिवार कल्याण महानिदेशालय द्वारा प्राविधानित प्रारूपों पर पूर्ववत किया जायेगा।

8. जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की फांट/वित्तीय व्यवस्था

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वीकृत धनराशि से महानिदेशालय से उपलब्ध कराए गए रेट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर सुरक्षित गर्भपात सेवाओं हेतु औषधियाँ एवं एम0वी0ए0 सीरिंज क्रय कर संलग्नक–1 के अनुसार अपने जनपद की क्रियाशील सेवा प्रदाता इकाइयों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- सभी उपार्जनों हेतु भारत सरकार द्वारा प्रेषित वित्तीय दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायगा एवं सम्बन्धित समस्त भौतिक एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाय।
- किसी भी स्थिति में कोई भुगतान नगद नहीं किया जायगा।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरानत ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यकम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कॉन्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

01/7/13

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रांक–एसपीएमयू/मा0स्वा0/सु0गर्भ0से0/104/2013–14/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक,परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से भी जनपदों को समुचित दिशा–निर्देश प्रेषित करें।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त नियंत्रक– एन0आर0एंच0एम0, एस0पी0एम0यू0 उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0 उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक